

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 16/2020

भगवान स्वरूप पुत्र सम्पतसिंह जाति धाकड़ निवासी वार्ड नम्बर 24 कस्बा अग्रसैन कालोनी
नई सब्जी मण्डी बयाना जिला भरतपुर।

..... अपीलान्त

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस०डी०एम०) नगर पालिका बयाना ।

.....रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
पदाधिकारी नगर पालिका बयाना

निर्णय

दिनांक:- 24.11.2020

अपीलान्त द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक के पेश की है । अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपीलान्त भगवान स्वरूप पुत्र सम्पतसिंह के प्रारूप -3 बाबत निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आवेदन को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से प्राप्त रिपोर्ट/ तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई । अभिभाषक अपीलान्त की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी का कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, गैस कनेक्शन बयाना के ही हैं इन समस्त दस्तावेजों में कस्बा बयाना का ही पता अंकित है । इन समस्त दस्तावेजों व साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अपीलार्थी बयाना का ही निवासी है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनने का अवसर दिया और नहीं हल्का पटवारी, गिरदावर, बी०एल०ओ०



व सुपरवाईजर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कोई गौर किया । अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है । यदि अपीलार्थी का नाम नगर पालिका बोर्ड बयाना में दर्ज नहीं किया गया तो वह अपने वैधानिक मताधिकार से बंचित रह जावेगा । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्त का नाम वार्ड नम्बर 24 नगर पालिका बयाना में जोड़े जाने के आदेश दिये जावें ।

हमने अभिभाषक अपीलान्त की बहस पर मनन किया । पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी एवं तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त का नाम पूर्व से ही ग्राम पंचायत लहचोरा कलां की निर्वाचक नामावली 2020 के वार्ड संख्या 02 की क्रम संख्या 252 पर दर्ज है । जिसकी छाया प्रति तहत पत्रावली में संलग्न है । अपीलार्थी ने लहचोरा कलां से नाम काटने बाबत भी किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया है । राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं किसी भी व्यक्ति का नाम दो जगह नहीं हो सकता है । अपीलान्त के प्रार्थना-पत्र की भौतिक सत्यापन में अपीलान्त का नाम ग्राम पंचायत लहचोरा कलां की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना पाये जाने पर अपीलान्त का आवेदन पत्र खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है । एस.डी.ओ बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं । अस्तु अपील अपीलान्त काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर